मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ -8/2009/नियम/चार भोपाल,दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009.

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28 फरवरी, 2009, 23 मार्च 2009 एवं 25 मई 2009.

-

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के तहत शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण में कतिपय बिन्दुओं पर विभिन्न विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है ।

2/ उपर्युक्त संबंध में समग्र विचारोपरान्त निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

स.क्रं.	उठाये गये बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	विद्यमान वेतनमान में प्राप्त व्यक्तिगत वेतन को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु गणना में लिया जावेगा अथवा नहीं ?	विद्यमान वेतनमान में प्राप्त व्यक्तिगत वेतन को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु गणना में लिया जावेगा ।
2.	व्यक्तिगत वेतन पेंशन प्रयोजन हेतु गणना में लिया जावेगा अथवा नहीं ?	जी, हाँ । व्यक्तिगत वेतन पेंशन प्रयोजन हेतु गणना में लिया जायेगा।
3.	विद्यमान वेतनमान में विशेष वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी का दिनांक 1-1 2006 को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु विशेष वेतन गणना में लिया जावेगा अथवा नहीं?	सभी प्रकार का विशेष वेतन म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु गणना में नहीं लिया जावेगा । म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम 10(2) के अंतर्गत उच्च पद के बदले में प्राप्त विशेष वेतन, जो कि दो पृथक-पृथक विद्यमान वेतनमानों को एक ही पुनरीक्षित वेतनमान नियत किये जाने के फलस्वरूप देय है को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु गणना में लिया जाए ।

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
1/2/2002

4.	म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 8 के अनुसार वेतन बैंड में मूल वेतन के 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत होने पर उसका योग वेतन बैंड के अधिकतम वेतन से अधिक होता है तो अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी जावे अथवा वेतन बैंड के अधिकतम से अधिक वेतन नहीं दिया जावे ?	म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 8 के अनुसार 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत करने पर म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत स्वीकृत वेतन बैंड के अधिकतम से अधिक वेतन होता है तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय होगी । इसके एक वर्ष पश्चात नियम 9 के अनुसार अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाले जाने पर उक्त व्यक्तिगत वेतन का समायोजन आगामी वेतन वृद्धि में किया जावे ।
5.	कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पहुँच जायेगा तो एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में ले जाने पर अगले उच्चतर वेतन बैंड के साथ देय ग्रेड पे देय होगी अथवा नहीं ?	जो ग्रेड पे प्राप्त की जा रही है वही रहेगी अर्थात अगले उच्चतर वेतन बैंड के साथ देय ग्रेड पे की पात्रता नहीं होगी ।
6.	दिनांक 1-1-2006 के पश्चात् पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारण यदि वेतन बैंड के न्यूनतम से कम है, तो वेतन निर्धारण क्या म.प्र. शासन के परिपत्र दिनांक 28-2-09 के साथ संलग्न तालिका में दिये गये दर्शित वेतन को वेतन बैण्ड का न्यूनतम वेतन मानकर किया जा सकता है अथवा नहीं ।	जी, नहीं । म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतन निर्धारण तालिकाऐं विद्यमान वेतनमान से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने हेतु मार्गदर्शिका के रूप में दी गयी है और इनको वेतन बैण्ड के न्यूनतम के रूप में नहीं माना जा सकता । म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम 12 के अनुसार पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण होगा । जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन से कम होगा तो इस वेतन को उच्च वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन के बराबर बढ़ा दिया जाएगा से तात्पर्य वेतन निर्धारण वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन से है । अर्थात पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण पदोन्नत पद के वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन से कम होगा तो उसे वेतन बैंड का न्यूनतम वेतन देय होगा । उदाहरण क्रमांक 1 एवं 2 संलग्न है ।

3/ कृपया उपर्युक्त अनुसार वेतन निर्धारण प्रकरणों का नियतन सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एन. मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
1/1/2002

<u>उदाहरण क्रमांक-1</u>

1. एक कर्मचारी दिनांक 1-9-2006 को वेतन बैंड ₹15600-39100+7600 ग्रेड पे में ₹30690+7600 ग्रेड पे कुल ₹38290 वेतन प्राप्त कर रहा था। उसकी पदोन्नति दिनांक 1-9-2006 को वेतन बैंड ₹37400-67000+8700 ग्रेड पे में होने पर उसका वेतन निर्धारण पूर्व वेतन बैंड में प्राप्त वेतन तथा ग्रेड पे की योग का 3 प्रतिशत ₹1150 पूर्व वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन ₹30690 में जौड़कर ₹31840 होता है जो पदोन्नति पद के वेतन बैंड के न्यूनतम बैंड वेतन ₹37400 से कम है ऐसी स्थिति में वेतन निर्धारण वेतन बैंड के न्यूनतम ₹37400+8700 ग्रेड पे पर होगा तथा आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 1-7-2007 होगी ।

2. एक कर्मचारी दिनांक 1-9-2006 को वेतन बैंड ₹15600-39100+7600 ग्रेड पे में ₹30690+7600 ग्रेड पे कुल ₹38290 वेतन प्राप्त कर रहा था। उसकी पदोन्नति दिनांक 1-9-2006 को वेतन बैंड ₹37400-67000+8900 ग्रेड पे में होने पर उसका वेतन निर्धारण पूर्व वेतन बैंड में प्राप्त वेतन तथा ग्रेड पे की योग का 3 प्रतिशत ₹1150 पूर्व वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन ₹30690 में जौड़कर ₹31840 होता है जो पदोन्नति पद के वेतन बैंड के न्यूनतम बैंड वेतन ₹37400 से कम है ऐसी स्थिति में वेतन निर्धारण वेतन बैंड के न्यूनतम ₹37400+8900 ग्रेड पे पर होगा तथा आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 1-7-2007 होगी ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
1/2/2002

पृष्ठा.क्रमांक : एफ -8/2009/नियम/चार भोपाल,दिनांक 26 सितम्बर,2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
1/2/2002